संख्या- 17 /2020/171/38-6-2020-171एलसी/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: 24 जुलाई,2020

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ई0एफ0एम0एस0 के माध्यम से राज्य स्तर पर बैंक खाता खोलने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संदर्भ में अपने पत्र संख्या--8533/51970/एनआरईटीपी/बजट/2020-21/लखनऊ, दिनांक 28 मई, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या--ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च, 2012, संख्या -10/2015-ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 29 मई, 2015, संख्या -14/2015-ए-1-879/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 23 सितम्बर, 2015, व संख्या -3/2016-ए-1-170/दस-2016-10(33)/2010, दिनांक 23 फरवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बचत बैंक खाता खोले जाने के संबंध में दी गयी व्यवस्था के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ई0एफ0एम0एस0 द्वारा डी0एस0सी0 (डिजीटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट) के माध्यम से बैंक खाता संचालन हेतु एन0आर0एल0एम0 तथा एन0आर0ई0टी0पी0 योजना का एक-एक पृथक बचत बैंक खाता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खोले जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त प्रस्तावित बैक खाते बचत खाते होंगे।

(2) यह खाते एन0आर0एल0एम0 तथा एनआर0ई0टीपी0 योजना के नाम से पृथक-पृथक खोले जायेगें व इन खातों का संचालन पृथक-पृथक रूप से दो अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा जिनमें से एक अधिकारी वित्त का होगा तथा दूसरा विभागीय अधिकारी होगा।

(3) इस खाते में केवल वही धनराशि रखी जायेगी जिस प्रयोजन हेतु इसे खोला गया है। किसी अन्य कार्य हेतु इस बैंक खाते का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्यथा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 इसके लिये उत्तरदायी होगा।

(4) प्रश्नगत बैंक खाता योजनावधि तक चालू रखा जायेगा। योजनावधि के समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार खाते को बंद कर दिया जायेगा।

(5) खाते के संचालन एवं रख-रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित अनुपालन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0प0संख्या-एफ0ए-1-59/दस-2020 दिनांक 15 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 17 (1)/2020/171/38-6-2019-171एलसी/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
5. गाई फाइल।

आज्ञा से,
राम केशर यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**